भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2891

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक कृषि की स्थिति

2891. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में, विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, जैविक कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जैविक कृषि को अपनाने वाले किसानों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कोई जैविक क्लस्टर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को भी भविष्य में ऐसे क्लस्टर में शामिल किया जाएगा;

(ङ) राजस्थान के जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए उपलब्ध अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेषकर राजस्थान राज्य के लिए जैविक कृषि के विस्तार हेतु सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (च): पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर राजस्थान सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों जैसे उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर जोर देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। दोनों योजनाएं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

पीकेवीवाई योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से खेत में और खेत के बाहर जैविक इनपुट के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता, विपणन और ब्रांडिंग के लिए प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपये प्रमाणन के लिए प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपये और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

वर्ष 2015-16 से (31.12.2025 तक), पीकेवीवाई योजना के तहत राजस्थान में कुल 10,057 क्लस्टर बनाए गए हैं, जो 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं और 2.88 लाख किसानों को लाभान्वित करते हैं। इस अवधि के दौरान 186.05 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। राजस्थान राज्य द्वारा पीकेवीवाई योजना के तहत दिनांक 31.12.2025 तक इसमें से 174.32 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भरतपुर संसदीय क्षेत्र में 6,700 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 335 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनसे 9,144 किसानों को लाभ मिल रहा है।

जैविक उत्पादों के लिए बाजार संपर्क तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार जैविक प्रमाणन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) के माध्यम से सहभागिता गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) शामिल हैं। एनपीओपी मुख्य रूप से निर्यात के लिए एक तृतीय प्रमाणन प्रणाली है, जबकि घरेलू जैविक बाजार के लिए पीजीएस-इंडिया कम लागत वाली सहभागिता प्रणाली है।

*****